

कार्यालय नगर परिषद खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

Email Add-cmonpkhp@gmail.com Phone No.07370,277836

खिलचीपुर, दिनांक- 16/03/26

क्रमांक/भण्डार/निविदा/598/2026

ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा समस्त पंजीकृत दुकानदारों/व्यवसायकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि इस निकाय को वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय त्यौहार, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ईद, मोहर्रम, निर्वाचन, जनकल्याणकारी शिविर आदि कार्यक्रमों में विद्युत सामग्री किराये पर लगाये जाने हेतु आवश्यकता होगी। इच्छुक निविदादाता आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी ऑनलाईन निविदा दरें ई टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी ई टेण्डर वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदा एवं इनकी तिथियों में किसी भी प्रकार की संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन होने की दशा में ऑनलाईन सूचना की जारी की जावेगी। पृथक से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 13/05/2026..... प्रातः 10.30 बजे से 12/06/2026..... शाम 5.30 तक डाउनलोड की जा सकती है।

क्र.	जावक क्रमांक	आन लाइन निविदा क्रमांक	किराये पर सामग्री लगाये जाने का विवरण	संभावित व्यय	अमानत राशि	निविदा पत्रक शुल्क
1	598	507004	वित्तीय वर्ष 2026-27 में विद्युत सामग्री (सीएफएल बल्ब 85 वाट प्रतिनग, सीरीज मिनिचर प्रतिहजार, द्यूबलाईट प्रतिनग, एलईडी लेम्प 100 वाट प्रतिनग, जनरेटर सिंगल फेस प्रतिनग, जनरेटर 3 फेस प्रतिनग) किराये पर लगाये जाने हेतु।	10 लाख	10000	2000.00

1. निविदा प्रपत्र क्रय करते समय समस्त व्यवसायकर्ताओं को जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा दर स्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार नगर परिषद का होगा।
3. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर भण्डार शाखा नगर परिषद खिलचीपुर में देखी अथवा प्राप्त की जा सकेंगी।
4. निकाय की वित्तीय स्थिति अनुसार भुगतान किया जावेगा।
5. देयक से नियमानुसार कटौती किया जावेगा।
6. दरें स्वीकृत होने की दशा में प्रदाय आदेश प्रदान करने के तत्काल की स्थिति में सामग्री किराये पर लगाना आवश्यक होगी।
7. यदि अपिहराह्य कारणों से निविदा प्राप्ति खोलने के दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी।
8. सामग्री क्षतिग्रस्त, कटी पिटी व खुले हुए तार नहीं होना चाहिए। सामग्री क्षतिग्रस्त होने व दुर्घटना होने पर ठेकेदार स्वयं की जवाबदारी रहेगी।
9. बल्ली/लौहे का पाइप/विद्युत तार (वायर) का पृथक से किराया नहीं दिया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद खिलचीपुर

खिलचीपुर, दिनांक 16/03/26

पृ.क्र./भण्डार/निविदा/599/2026

प्रतिलिपि :-

श्री इंजीनियरिंग इंटरप्रायजेस राजगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ऑनलाईन निविदा का प्रकाशन कर देयक प्रस्तुत करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद खिलचीपुर